राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 922/2011/चित्तौड़गढ़

मैसर्स शिव कुमार शर्मा,
चित्तौड़गढ़।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,
वृत्त–भीलवाड़ा।

....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.एस.राठौड़,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/02/2014

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) की अपील संख्या 72/वैट/2009–10 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.12.2013 के विरूद्ध **'वेट अधिनियम'** की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, वृत्त भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 13.03.2009 को धारा 24 ऑफ वैट एक्ट के तहत पारित करते हुए कर रूपये 28,135/– व शास्ति रूपये 2000/– कुल मांग रूपये 30,135/– की मांग सृजित की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.12.2010 से अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कुल कर रूपये 88,250/– आरोपित किया है जबकि उसका कर रूपये 60,115/– ही बनता है इस प्रकार रूपये 28,135/– अधिक कर आरोपित किया गया है। उसके द्वारा ऐसा ईसी के तहत न मानकर कर निर्धारण किया गया है। ई.सी. हेतु फार्म WT-1 देरी से पेश किया जाने के कारण ईसी के विकल्प को अमान्य किया गया है। उसे ईसी के तहत माना जावें। साथ

लगातार.....2

ही उन्होंने बताया कि धारा 58 के तहत रूपये 2000/– शास्ति आरोपित की गयी है जो कि बिना नोटिस जारी किये आरोपित की गयी है अतः शास्ति को अविधिक बताया। उक्त आधार पर अपील स्वीकार करने के लिए निवेदन किया।

5. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित व विधिक बताया। तथा अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य बताया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा बाउण्डरी वाल, सिडियों का निर्माण हेतु कार्यादेश दिनांक 27.05.2006 एवं 16.05.2006 को प्राप्त किये गये थे। जबकि WT-1 फर्म कार्यालय में दिनांक 09.04.2009 को पेश किया है जो कि एक वर्ष की नियत अवधि से बाद में पेश किया गया है। जिस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ईसी आवेदन को अस्वीकार कर कर निर्धारण किया गया है। उक्त आदेश पूर्णतया नियमानुसार है अतः इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसी कारण उपायुक्त (अपील्स) द्वारा विधिक रूप से अपीलार्थी की अपील को निरस्त किया गया है। आई.टी.सी. एवं अग्रिम जमा का सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी अपने स्तर पर जांच कर देने को स्वतंत्र है।

धारा 58 में शास्ति के सम्बन्ध में अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस नियमानुसार जारी किया गया है अतः शास्ति उचित है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

13-2-14

(अमर सिंह)

सदस्य